अति महत्वपूर्ण/तत्काल

डायरी संख्या 182 /क0के0सिं0वि0
दिनांक 10.5.22

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 42 /प्र0अ0/ सिनिक/ सिसस-15/ खरीफ़ 1430 लखनऊ : दिनांक 06 मई , 2022

कार्यालय-ज्ञाप

खरीफ़ 1430, फसली वर्ष 2022-23 में विभागीय अधिकारियों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं सिल्ट सफाई कार्यो के भौतिक सत्यापन हेतु प्रमुख अभियन्ता स्तर पर विभागीय टीमें निम्नानुसार गठित की जाती हैः-

क्र0	संगठन का नाम	मण्डल का नाम	सिल्ट सत्यापन टीम का विवरण	टीम संख्या
1	2	3	4	5
1	मुख्य अभियन्ता (मध्य गंगा), अलीगढ़	मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल-1 मेरठ ।	1. अधीक्षण अभियन्ता, अनुसन्धान एवं नियोजन (जल संसाधन), मेरठ।	01
			2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ।	
		मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल, मुरादाबाद ।	1.अधीक्षण अभियंता, अनुश्रवण प्रकोष्ठ, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ।	02
			2.अधि0 अभि0(सं0), वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (पूर्वी गंगा), मुरादाबाद।	
2	मुख्य अभियन्ता (पूर्वी गंगा), मुरादाबाद	पूर्वी- नहर निर्माण मण्डल, बिजनौर ।	1. अधीक्षण अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल-प्रथम, मेरठ ।	03
			2. अधि0अभि0,अनुश्रवण प्रकोष्ठ (यूनिट-2) ,सिंचाई भवन एनेक्सी लखनऊ।	
		पूर्वी- नहर निर्माण मण्डल, हरिद्वार ।	1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (यमुना), ओखला।	04
			2. अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण मण्डल, रूड़की।	
3	मुख्य अभियन्ता (गंगा), मेरठ।	ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़	1. अधीक्षण अभियंता, ड्रेनेज मण्डल, कानपुर।	05
			2. अधिशासी अभियंता कम्प्यूटर केन्द्र का0प्र0अ0, लखनऊ।	

सत्यापन टीम के सदस्यों द्वारा उनके नाम के सम्मुख आवंटित मण्डलों के अन्तर्गत नहरों की सिल्ट सफाई का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन करते समय निम्न निर्देशों का अनुपालन करते हुये रिपोर्ट में उल्लेख किया जाना वांछित हैः-

1. सत्यापन टीम द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र की नहरों का इस प्रकार सत्यापन किया जायेगा कि समस्त क्षेत्र की नहरों का प्रतिनिधित्व हो सके। सम्बन्धित क्षेत्र की न्यूनतम 10 प्रतिशत नहरों का सत्यापन अवश्य करें तथा सत्यापन स्थल के फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध करायें।
2. सत्यापन टीम द्वारा नहरों की सिल्ट सफाई की गुणवत्ता, मिट्टी का डिस्पोजल, बेडवार तक की सिल्ट सफाई, आन्तरिक अनुभाग की पूरी बेड विड्थ में सिल्ट सफाई तथा निकाली गयी सिल्ट की ड्रेसिंग,टी० डाईग्राम, लम्बछिन्नक, प्राक्कलन, कार्यादेश/अनुबन्ध आदि बिन्दुओं का समावेश अपनी सत्यापन आख्या में सम्मिलित करेंगे।
3. सत्यापन टीम शासनादेश सं0-960/12-27-सिं-4-46(डब्लयू)/12,दिनांक 08.05.2012 के आलोक तथा समय-समय पर जारी होने वाले नवीनतम् शासनादेशों को समावेशित करते हुए सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करेगी।
4. सभी सत्यापन करने वाले अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि सिल्ट सफाई के कार्यो का सत्यापन पुल (वी0आर0बी0,डी0आर0बी0 तथा पी0आर0बी0) के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मी0 की दूरी पर अवश्य किया जाये। सिल्ट सफाई के भौतिक सत्यापन हेतु फोटोग्राफ्स तीन चरणों में कार्यो से पूर्व, कार्यो के समय,एवं कार्यो के निष्पादन के बाद एक ही स्थान के चैनेज डालकर एक ही पृष्ठ पर लगाकर प्रेषित किये जाये।

श्रीमती डालिया, क-अ

(भूपेन्द्र कुमार)
सहायक अभियंता
सिंचाई नियंत्रण कक्ष, लखनऊ